# कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
## ऑफिस काम्पलेक्स (बी) ब्लाक, गौतम नगर, भोपाल–23
Ph : 0755- 2583632, Fax : 0755-2583631, E-mail : dagebho@mp.gov.in


0000

क्रमांक / यंत्रदूत / कस्टम हायरिंग / 2023–24 / 1034 भोपाल, दिनांक 24 / 04 / 2023

प्रति,

1. कृषि यंत्री / कार्यपालन यंत्री
   संभाग..... समस्त।
2. सहायक कृषि यंत्री
   उप संभाग–.....समस्त।

विषयः–वर्ष 2023–24 में यंत्रदूत ग्रामों के विकास कार्यक्रम के संबंध में संशोधित मार्गदर्शी निर्देश।

0000

प्रदेश में वर्ष 2011–12 से प्रारंभ की गई कृषि शक्ति योजना अंतर्गत यंत्रदूत ग्रामों का विकास घटक का कियान्वयन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उददेश्य आधुनिक कृषि उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा देकर कृषकों में जागरूकता लाना है जिससे वे नवीन तकनीक का समावेश अपनी कृषि में करके अधिक उत्पादकता प्राप्त कर सके एवं लागत में कमीं लायी जा सके। इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम स्तर पर यंत्रों के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन आयोजित किये जाते है तथा कृषकों की संगोष्ठी, प्रशिक्षण तथा भ्रमण भी आयोजित किया जाता है। विगत वर्षों में यह अनुभव किया गया है कि इस कार्यक्रम के प्रति मैदानी अधिकारियों की रूचि कम हो रही है तथा कार्यक्रम के कियान्वयन में लापरवाही एवं उदासीनता बर्ती जा रही है जो आपत्तिजनक है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि यंत्रदूत ग्राम कार्यक्रम का कियान्वयन निर्धारित समयावधि में पूरी पार्दर्शिता के साथ संपन्न किया जाये। उक्त कार्यक्रम का कियान्वयन राज्य योजना के अंतर्गत किया जाता है जिसके अंतर्गत त्रैमासिक आधार पर आवंटन उपलब्ध रहता है यदि किसी त्रैमास में राशि व्यय नहीं होती है तो उक्त त्रैमास की राशि समाप्त हो जाती है। अतः वर्ष 2023–24 से कार्यक्रम के कियान्वयन में पूरी गंभीरता रखी जाये एवं प्रत्येक त्रैमास में भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित की जाये। संभागीय कृषि यंत्रियों का यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक त्रैमास में अधिनस्थ सहायक कृषि यंत्री द्वारा लक्ष्यों की पूर्ति कर रहे है या नहीं इसकी लगातार मॉनिटरिंग करे। यदि किसी जिले में लक्ष्यों की पूर्ति नही होगी तो संबंधित सहायक कृषि यंत्री को इसके लिये सीधे उत्तरदायी ठहराया जायेगा।

कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नानुसार सुनिश्चित किया जाना होगा :–

1. **ग्रामों का चयन** :– यंत्रदूत ग्रामों का चयन इस वर्ष क्लस्टर आधार पर किया जाएगा जिसके अंतर्गत एक क्लस्टर में कम से कम 2 ग्राम सम्मिलित किए जावें अगर किसी कार्यालय को 4 या उससे अधिक



Scanned with CamSc

यंत्रदूत ग्रामों का लक्ष्य है तो दो क्लस्टर बनाए जावें जिसमें प्रत्येक क्लसटर में 2 अथवा 3 ग्राम रखे जावे। ग्रामों का चयन संयुक्त रूप से किया जायेगा। उन ग्रामो का चयन किया जाए जहां पर कृषि यंत्रीकरण की स्थिति कमजोर है, फंसलों की उत्पादकता कम है तथा लघु, सीमांत तथा कमजोर वर्गो की संख्या अधिक है। ग्राम सड़क मार्ग से आसानी से जुड़े हो जिससे कि वर्षभर कार्य हेतु मशीनों एवं कर्मचारियों की पहुंच में असुविधा न हो मुख्य सड़क से जुड़े ग्रामों को प्राथमिकता दी जावे जिससे कि ग्राम के विकास की जानकारी अन्य कृषकों को आसानी से प्राप्त हो सके। जिलेवार एवं विकासखंडवार चयनित ग्रामों के क्लस्टरवार जानकारी संचालनालय को 25 अप्रैल 2023 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाये एवं आधारभूत जानकारी पोर्टल पर 30 अप्रैल 2023 तक दर्ज की जावे। ग्राम सभा के अनुमोदन के तत्काल उपरांत ग्रीष्मकालीन जुताई का कार्य प्रांरभ करा दिया जाये।

2 **नोडल अधिकारी की नियुक्ति** :–प्रत्येक क्लस्टर हेतु कृषि यंत्री द्वारा एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा, जो क्लस्टर के समग्र विकास के लिये पूर्ण रूप से जिम्मेदार रहेगा। नोडल अधिकारी चयन करते हुए इस बात का विषेश ध्यान रखा जाए कि जिस यूनिट से ट्रेक्टर एवं कृषि यंत्र क्लस्टर ग्रामों के लिये उपलब्ध कराये जाना प्रस्तावित है उसी यूनिट के यांत्रिक सहायक को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जायेगा। नोडल अधिकारी की गोपनीय चरित्रावली यंत्रदूत ग्रामों मे किये गये कार्य के परिणामों के उपर आधारित रहेगी।

3. **आधारभूत सर्वे** :– प्रत्येक यंत्रदूत ग्राम के संसाधनों की बेंच मार्किंग पूर्व मे उपलब्ध कराये गये दिशा निर्देशों के आधार पर की जाकर संचालनालय के पोर्टल पर 15 अप्रैल तक इन्द्राज की जाना सुनिश्चित किया जायें। आधारभूत सर्वे का कार्य पूर्ण सावधानी के साथ किया जावे, जिस हेतु कृषको से चर्चा उपरांत ही उत्पादन, यंत्र उपलब्धता एवं समस्याओं आदि की जानकारी भरी जाये। प्रत्येक ग्राम के सर्वे की जानकरी पंजी मे संधारित की जायेगी।

4. **वर्षभर के कार्यक्रमों का निर्धारण** :– आधारभूत सर्वे के उपरांत प्रत्येक ग्राम में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाये जिसमें सभी कृषकों के साथ जानकारिया साझॉ की जाकर प्रस्तावित वार्षिक रणनीति का निर्धारण किया जाये। इसके अंतर्गत ग्राम मे पूरे वर्ष मे लिये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी कृषकों को दी जाये तथा संपदित की जाने वाली गतिविधियों का माहवार कैलेण्डर तैयार किया जाकर कृषकों को अवगत कराया जाये। कृषकों को यह भी अवगत कराया जाये कि कृषि यंत्रों के प्रदर्शन के दौरान किस यंत्र का कितने घंटे तक उनके खेत में प्रदर्शन किया जायेगा। विभिन्न आदानों की मांग एवं उनकी आपूर्ति की व्यवस्था का निर्धारण भी इसी संगोष्ठी में किया जाये। यंत्रदूत ग्राम मे किये जाने वाले सभी कार्यो में संपूर्ण पारदर्शिता रखी जाना अनिवार्य होगी। प्रदर्शन आदि के कार्य सर्वप्रथम लघु एवं सीमान्त कृषकों के खेत से प्रारंभ करते हुये अन्य वर्ग को कृषकों के खेतो मे



Scanned with CamSc

संपादित किये जायेगें। कार्यक्रम निर्धारण हेतु कृषि विभाग/विषय विशेषज्ञ के अन्य अधिकारियो को भी आमंत्रित किया जाये तथा कृषि विभाग की अन्य योजनाओं से कृषको को कैसे लाभान्वित किया जा सकता है उसकी भी चर्चा कृषि विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुये सुनिश्चित की जाये। निर्धारित की गई रणनीति का डाक्यूमेंटेशन भी अनिवार्य रूप से किया जाये साथ ही प्रत्येक यंत्रदूत ग्राम की पंचायत भवन/मुख्य सड़क पर यंत्रदूत ग्राम चयन संबंधी सूचना पटल स्थापित किया जाए।

5. <u>संपादित की जाने वाली गतिविधियां</u>– शासन के संदर्भित पत्र द्वारा प्रत्येक यंत्रदूत ग्राम में विभिन्न गतिविधियों को संपादित करने की सीमा निर्धारित की गई है। उपलब्ध राशि को दृष्टिगत रखते हुए यंत्रदूत ग्रामों के क्लस्टर मे इस वर्ष निम्नानुसार गतिविधियाँ संपादित की जायेगी।

5.1 **कृषक संगोष्ठी/प्रशिक्षण**– आधारभूत सर्वे के उपरांत प्रत्येक ग्राम में एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाये तथा चयनित यंत्रदूत ग्रामों में खरीफ एवं रबी के प्रत्येक सत्र में एक–एक संगोष्ठी/प्रशिक्षण आयोजित की जावेंगी। इस तरह एक वित्तीय वर्ष में कुल दो संगोष्ठियां/प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रत्येक ग्राम में एक रबी एवं एक खरीफ सीजन में) में आयोजित की जावेंगी। प्रत्येक आयोजन क्लस्टर के अलग–अलग ग्रामों में किया जाए जिससे अन्य ग्रामों के कृषक भी योजना का लाभ ले सकें। आयोजन रबी व खरीफ सीजन के पूर्व किया जावे जिससे सीजन में कार्य हेतु कौन–कौन सी मशीनें कृषको के लिए उपयोगी हो सकती है उसकी जानकारी दी जा सके। आयोजित की जाने वाली संगोष्ठी/प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु उपयोग में लाए जाने वाली सामग्री आवश्यकता से अधिक क्रय नही की जावे। संगोष्ठी/प्रशिक्षण में उपस्थित कृषको के हस्ताक्षर, मोबाईल नम्बर तथा आधार नम्बर अनिवार्यतः लिया जाकर पंजी अंकित किया जावे। संगोष्ठी/प्रशिक्षण में उपस्थित अधिकारियो के भी हस्ताक्षर भी कराए जावे व यह भी प्रमाणित किया जावे की उक्त प्रशिक्षण में कितने कृषक उपस्थित रहे। कृषि वैज्ञानिको को भी अनिवार्य रूप से आमंत्रित किया जाए। <u>संगोष्ठी/प्रशिक्षण का अयोजन प्रथम त्रैमास एवं तृतीय त्रैमास में कराया जायेगा।</u> संगोष्ठी का आयोजन आत्मा परियोजना के मापदण्डो के अनुरूप किया जायेगा। प्रत्येक संगोष्ठी/प्रशिक्षण में संबंधित सहायक कृषि यंत्री की उपस्थिति अनिवार्य होगी। कृषि यंत्री द्वारा भी समय समय पर संगोष्ठियो में भाग लिया जाना होगा।

5.1.1 कृषको का संगोष्ठी/प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रयास करे की ग्राम के सामुदायिक भवन में आयोजित किया जावे। अगर कृषको की उपस्थिती अधिक हो अथवा सामुदायिक भवन उपलब्ध न होने की स्थिति में आवश्यकतानुसार टेन्ट की व्यवस्था की जावे। कार्यक्रम में उपस्थित उपस्थित कृषकों की फोटो भी पोर्टल पर अपलोड की जावे।



Scanned with CamSc

5.1.2 संगोठी/प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उपस्थित कृाकों को न्यूनतम दर प्राप्त कर स्वलपाहार अथवा भोजन आदि प्रदाय किया जाये।

5.1.3 संगोष्ठी/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए किसी अन्य संस्था को राशि नहीं दी जावेगी।

5.1.4 संगोष्ठी/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजन स्थल पर यंत्रो की एक छोटी प्रदर्शनी भी लगाई जावे।

5.1.5 संगोष्ठी/प्रशिक्षण आयोजित कार्यक्रम में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि तथा जिले के वरिष्ठ अधिकारियों आदि की उपस्थिति हेतु भी प्रयास किया जावें।

5.2 **कृषक भ्रमण**–इसके अंतर्गत राज्य के अंदर भ्रमण हेतु प्रत्येक क्लस्टर से 20 कृषकों के एक दल तीन दिवसीय भ्रमण पर भेजे जा सकेगें। राज्य के अंदर के भ्रमण में केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान भोपाल, केन्द्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान बुधनी एवं बोरलॉग इंस्टीटयूट फॉर साउथ एशिया जबलपुर को वरियता दी जाये। अन्य संस्थानो के भ्रमण के लिए कृषि यंत्री स्तर की समिति के अनुमोदन उपरांत ही कार्यक्रम में सम्मिलित किए जा सकेगें।

प्रदेश के बाहर के भ्रमण कार्यक्रम में प्रत्येक कलस्टर से कृषकों का एक दल उपलब्ध बजट आवंटन को ध्यान में रखते हुये भेजा जाये। राज्य के बाहर का भ्रमण मुख्य रूप से भारतीय कृषि अनुंसधान परिषद के प्रतिष्ठित संस्थान आदि में कराया जाये। प्रदेश के बाहर के भ्रमण के अंतर्गत अंर्तराष्ट्रीय कृषि मेले एवं भारत सरकार द्वारा आयोजित किये जाने वाले विशेष कार्यक्रमों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्व भारत सरकार के कृषि संस्थानों का चयन कृषि यंत्री स्तर की समिति के अनुमोदन उपरांत ही चयन किया जाकर भ्रमण कराया जा सकता है।

5.2.1 भ्रमण में किसानों का दल किसी जिम्मेदार अधिकारी के नेतृत्व में भेजा जाए। इसका ध्यान विशेष रूप से कृषि यंत्री द्वारा रखा जाए।

5.2.2 भ्रमण कार्यक्रम में कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर ही वाहन उपयोग किये जावे।

5.2.3 भ्रमण कार्यक्रम उपयोग में लाये गये वाहन टेक्सी कोटे में पंजीकृत होना अनिवार्य रहेगा तथा उनका आर.टी.ओ. रजिस्ट्रेशन की कॉपी बिल के साथ प्राप्त की जावें। बस के राज्य के बाहर जाने की स्थिति में परमिट की कॉपी भी देयक के साथ लगावी जावें। इसके उपरांत ही देयक का भुगतान किया जाये।

5.2.4 संचालनालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करने पर अतिरिक्त भ्रमण करवाये जा सकेंगें।

5.2.5 भ्रमण पर आत्मा की गाईड लाईन अनुसार कृषकों की संख्या एवं भ्रमण दिवसों के अनुसार व्यय किया जावेगा। भ्रमण कि 24 घंटे पूर्ण होने पर ही एक दिवस मान्य किया जावेगा।



Scanned with CamSc

दूसरा दिवस मान्य करने के लिये कम से कम 8 घंटे से अधिक का समय भ्रमण का होना चाहिये।

5.2.6 भ्रमण हेतु कृषकों की उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर के साथ उनका मोबाईल नं. एवं आधार नं. भी दर्शाया जावें एवं भ्रमण में उपस्थित कृषकों का ग्रुप फोटोग्राफ भी कार्यालय में देयक के साथ प्रस्तुत करेंगे। यथासंभव दल का फोटोग्राफ भ्रमण स्थल पर जाकर पोर्टल पर अपलोड किया जाये।

5.2.7 भ्रमण के दौरान ठहरने के लिये व्यवस्था किसी भी होटल/गेस्ट हाउस पर करवाया जावें जहॉ देयक प्रिन्टेड हो। देयक पर दुकानदार का फोन/मोबाईल नंबर अंकित होना आवश्यक है। एक बार भोजन मे प्रति कृषक अधिकतम रू. 120/– तक तथा नाश्ता व चाय पर अधिकतम रू. 30/– तक ही व्यय किये जावे।

5.2.8 कृषक को मानदेय किसी भी रूप मे नही दिया जायेगा।

5.3 **प्रदर्शन** –राज्य शासन के संदर्भित पत्र क्र/तक./कृषि शक्ति/यंत्रदूत/2014–15/642 भोपाल,दिनांक 05.04.2014 में उल्लेखित किया गया है कि प्रत्येक यंत्रदूत ग्राम में 100 प्रदर्शन आयोजित किये जा सकतें है। इसके अन्तर्गत स्पष्ट किया जाता है कि कृषि यंत्रों के प्रद र्न में प्रत्येक ग्राम में अधिकतम 700 घंटे तक का ट्रेक्टर कार्य संपादित कर सकते है। विभागीय ट्रेक्टर के कराये गये प्रदर्शन कार्य के देयक का समायोजन राज्य शासन की कृषि शक्ति योजना (13–2401–113–51–6482) के अन्तर्गत प्रदाय की जा राशि से होगा। प्रदर्शन के कार्यक्रम के निर्धारण करते समय इस बात का ध्यान रखा जाये कि गहरी जुताई से लेकर फसल की कटाई एवं गहाई आदि तक के सभी कार्य प्रदर्शन हेतु उपलब्ध 700 घंटे कार्य के अंदर ही समाहित होगें। प्रत्येक प्रदर्शन के पत्रक एवं ट्रेक्टर की लॉगबुक पर लाभान्वित कृषक के हस्ताक्षर एवं आधार नम्बर अनिवार्य रूप से लिये जायेंगे। विगत वर्षो में देखा गया है कि प्रदर्शन तो बहुत किये गये किन्तु फोटोग्राफस एवं वीडियो क्लिप उपलब्ध नहीं कराये जाते है। अतः इस संबंध में गंभीरता रखते हुये विभिन्न यंत्रों के प्रदर्शन के फोटोग्राफस एवं वीडियो उच्च गुणवत्ता के तैयार कर इस संचालनालय के पार्टल पर अपलोड कराये जायेंगे।

5.4 **अन्य प्रकार के कार्य** –प्रत्येक क्लस्टर हेतु राशि रूपये 40,000/– अन्य प्रकार के कार्य के लिये उपलब्ध कराई जायेगी जिसके अन्तर्गत लिटलेचर प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डिसप्ले बोर्ड आदि पर व्यय की जा सकती है। इस राशि से कृषकों को प्रद र्न हेतु आवश्यक आदान जैसे बीज, कीटनाशक, बीजोपचार औषधि आदि भी क्रय करके उपलब्ध कराई जा सकती है। इस राशि के



Scanned with CamSc

अन्तर्गत ट्रेक्टर को छोड़कर अन्य सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन जैसे पावरटिलर, रीपर कम बाईन्डर आदि के कार्य के घंटे का समायोजन भी किया जा सकेगा।

प्रत्येक क्लस्टर अथवा ग्राम में की जाने वाली गतिविधियों का विवरण निम्नानुसार है –

| क्र | गतिविधियॉं | संख्या | दर | आयोजन कार्यक्रम | मापदण्ड |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | कृषक प्रशिक्षण न्यूनतम 50 कृषक (प्रत्येक क्लस्टर में 2 बार) (रबी एवं खरीफ) | 2 | प्रशिक्षण 12,500 | द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास | आत्मा परियोजना |
| 2 | कृषक सगोष्ठी न्यूनतम 50 कृषक (प्रत्येक क्लस्टर में 2 बार) (रबी एवं खरीफ) | 2 | संगोष्ठी 15,000 | प्रथम एवं चतुर्थ त्रैमास | आत्मा परियोजना |
| 3 | कृषक भ्रमण राज्य के अन्दर (अधिकतम 3 दिवस) 20 कृषक प्रति क्लस्टर | 1 | प्रति कृषक 500/– प्रति दिवस अधिकतम रू. 30,000/– | द्वितीय एवं चतुर्थ त्रैमास | आत्मा परियोजना |
| 4 | कृषक भ्रमण राज्य के बाहर | 1 | प्रति कृषक 750/– प्रति दिवस अधिकतम रू. 50,000/– | द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास | आत्मा परियोजना |
| 5 | कृषि यत्रों के प्रदर्शन (प्रत्येक ग्राम मे 700 घंटे ट्रैक्टर कार्य) | 700 घंटे प्रति ग्राम | 625 प्रति घंटे | रबी एवं खरीफ सीजन | भारत सरकार के सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकेनाईजेशन योजना के मापदण्ड अनुसार |
| 6 | अन्य व्यय (स्टेशनरी, प्रचार–प्रसार सामग्री फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, डिसप्ले बोर्ड, आदान सामग्री, जैसे खाद, बीज, कीटनाशक आदि एवं सेल्फ प्रोपेड मशीनों का किराया आदि) | – | रू. 20,000/– प्रति ग्राम | – | आत्मा परियोजना की गाईड लाईन अनुसार |

उपरोक्त कार्यक्रमों के अतिरिक्त कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जावें। यदि किसी कलस्टर विशेष में कोई अन्य कार्यक्रम या संगोष्ठी का आयोजन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है तो इसकी विशेष अनुमति संचालनालय से प्राप्त की जा सकेगी।

आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील होंगें।

24/4/23

संचालक कृषि अभियांत्रिकी
म.प्र.भोपाल



Scanned with CamSc